

1-7 २२ पञ्जावली पेश कुटी उभयपक्ष के वकील <sup>रूपनगाथ</sup>

उपस्थित। जवाब हेतु समय-चाहा। समय  
 दिया जाकर पत्रावली दिनांक 22-7-22 को  
 पेश हो। पुनश्च पार्टी सं. 2 व 3 ने प्रार्थना-पत्र  
 अर्न्तगत धारा 151 C.P.C. वास्ते प्रार्थना-पत्र  
 को विद्रा करने बाबत पेश किया। प्रस्तुत प्रा  
 पत्र अनुसार उक्त प्रकरण को प्राथमिक अव  
 सगै चलाना नहीं चाहते हैं तथा उक्त प्रकरण  
 में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। पार्टी  
 सं. 2 व 3 स्वयं उपस्थित। पार्टी सं. 2 व 3 ने  
 पहचान स्वरूप आधार कार्ड की स्वप्रमाणित  
 प्रती पेश की। प्राथमिक की पहचान वकील  
 पार्टी द्वारा की गयी।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अव-  
 लोकन किया एवं उपस्थित प्राथमिक  
 को सुना। चूंकि प्राथमिक द्वारा उक्त प्रकरण  
 में कोई कार्यवाही नहीं चाही जा रही थी  
 अतः प्राथमिक का प्रार्थना-पत्र खारिज  
 किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर  
 नम्बर से कम है।

12  
 व्युत्पन्न अधिकारी  
 रूपनगर (अजमेर)

सय श्री

संचाल  
 प्रमुख

कलकत्ता:

वृत्तान्त-

मो  
 10/7/22